मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/2021-22/18 भोपाल दिनांक 13/12/2021

प्रति

01. संयुक्त संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय(समस्त)

02 कार्यपालन यंत्री,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी कार्यालय (समस्त)

03. भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषय :- **प्राकृतिक खेती पर किसान सम्पर्क कार्यक्रम 16 दिसम्बर 2021 को आयोजन के संबंध में।**

संदर्भ :- **अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/सां/एस.टी-3/प्राकृतिक/खेती/2021/1110 भोपाल दिनांक 13-12-2021**

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार प्राकृतिक खेती पर 16 दिसम्बर 2021 को किसान सम्पर्क कार्यक्रम के रूप में प्री-वाईब्रेट गुजरात समिट आनंद कृषि विश्व विद्यालय कैम्पस आनंद गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ होगा जिसमें 150-200 कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त कार्यक्रम विडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम आयोजित किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश की नगरीय (केवल नगर निगम नगर पालिका तथा नगर पंचायत की सीमा क्षेत्र में आने वाली मंडियों) मंडियों में 150 से 200 कृषकों के कार्यक्रम में विडियो कान्फ्रेन्स बैठक की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करावें। सम्पन्न कार्यक्रम की उपस्थिति संख्या विवरण फोटो सहित कार्यक्रम पूर्ण होने के तुरन्त उपरान्त आंचलिक कार्यालय के माध्यम से ई मेल तथा वाटसएप पर भेजें।

संलग्न :- शहरी मंडी क्षेत्र की सूची।

(विकास नरवाल)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/2021-22//19 भोपाल दिनांक 13/12/2021

प्रतिलिपि :-

01 अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

02 संचालक, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल

03. कलेक्टर जिला समस्त कृपया निर्देशानुसार मध्यप्रदेश की नगरीय (केवल नगर निगम नगर पालिका तथा नगर पंचायत की सीमा क्षेत्र में आने वाली मंडियों) मंडियों में 150 से 200 कृषकों के कार्यक्रम में विडियो कान्फ्रेन्स बैठक की व्यवस्था की जाना है।

04. अपर संचालक/संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अपने प्रभार के संभाग/जिलों से फालो अप हेतु।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय भोपाल

क्र./ सां. / एस. टी.-3/ प्राकृ.खे./ सलाह/2021/1110 भोपाल दिनांक 13.12.2021

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड क्र. Mail/3180 दि. 13/12/2021 शाखा AD IT नि.स. प्रबंध संचालक

प्रति

प्रबंध संचालक,

मध्यप्रदेशराज्य कृषि विपणन बोर्ड

अरेरा हिल्स भोपाल।

विषय:- प्राकृतिक खेती पर किसान संपर्क कार्यक्रम 16 दिसंबर, 2021 को आयोजन के संबंध में।

संदर्भ- संयुक्त सचिव (आईएनएम) भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ.एन. 8-40/2021-आईएनएम दिनांक 10-12-2021.

विषयान्तर्गत लेख है कि प्राकृतिक खेती पर 16 दिसंबर, 2021 को किसान संपर्क कार्यक्रम के रूप में प्री-वाइब्रेट गुजरात समिट आनंद कृषि विश्व विद्यालय कैम्पस आनंद गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रात: 11 बजे से प्रारंभ होगा जिसमें 150 से 200 कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त कार्यक्रम वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जावेगा।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश की नगरीय (केवल नगर निगम,नगर पालिका तथा नगर पंचायतों की सीमा क्षेत्र में आने वाली मण्डियों) मण्डियों में 150 से 200 कृषकों के कार्यक्रम में वीडियों कान्फ्रेंस बैठक की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- शहरी मण्डी क्षेत्र की सूची ।

(अजीत केसरी)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकासविभाग

पृ. क्र./सां./एस.टी.-3/प्रा.खे./2021/1110-1 भोपाल दिनांक 13.12.2021

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ....(समस्त) की ओर सूचनार्थ।
2. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला.......(समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । जिन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव है वहॉ पर चुनाव आचार संहिता का पालन किया जावें।
3. उप संचालक सह परियोजना संचालक आत्मा समिति जिला.......(समस्त) म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि शहरी क्षेत्र के 150 से 200 किसानों को कार्यक्रम में भाग लिया जाना सुनिश्चित किया जावें । जिन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव है वहॉ पर चुनाव आचार संहिता का पालन किया जावें।
4. सचिव मंण्डी, कृषि उपज मंण्डी (शहरी क्षेत्र) जिला समस्त म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वीडियों कान्फ्रेंस एवं बैठक की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करावें।

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकासविभाग